

25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रार्थी अनुपस्थित। बार-बार आवाजे लगवाई गई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.08.2022 में पक्षकारान को इस न्यायालय में दिनांक 14.09.2022 को उपस्थित होने बाबत निर्देश दिये थे। 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है प्रार्थीगण आज दिनांक तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण प्रकरण को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैवरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

